



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय : राजस्व विभाग

MINISTRY OF FINANCE: DEPARTMENT OF REVENUE

कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

OFFICE OF THE Pr. CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, (MP&CG)

“आयकर भवन”, 47, अरेरा हिल्स, नर्मदापुरम रोड, भोपाल, 462011

“AAYAKAR BHAWAN,” 47 ARERA HILLS, NARMADAPURAM ROAD, BHOPAL.

Email: bhopal.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

DIN & ORDER NO.:
ITBA/COM/F/17/2025-
26/1084261005(1)

आदेश / ORDER

दिनांक / Dated: 29.12.2025

सेवा में /To,

मेडीप्लस हॉस्पिटल (पैन: AAICM8279N),
इ/ए-३, स्कीम नं ५४, मैरियट होटल के विपरीत,
विजय नगर, इंदौर (म.प्र.)

Mediplus Hospital, (PAN: AAICM8279N),
E/A-3, Scheme No. 54, Opp. Marriott Hotel,
Vijay Nagar, Indore (M.P.)

विषय/sub: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के उप-खंड (viii) के प्रावधान के खंड (ii) के उप-खंड (बी) के तहत अनुमोदन (आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए(1) और 3ए(2) के साथ पढ़ें) / **Approval under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause (viii) of section 17(2) of the Income Tax Act, 1961. (Read with rules 3A (1) & 3A (2) of Income Tax Rules, 1962)**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के उप-खंड (viii) के प्रावधान (ii) (बी) के तहत प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को प्राप्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, म.प्र. एवं छ.ग., भोपाल, मेडीप्लस हॉस्पिटल (मेडीप्लस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई) (पैन: AAICM8279N), इ/ए-३, स्कीम नं ५४, मैरियट होटल के विपरीत, विजय नगर, इंदौर (म.प्र.) अस्पताल को अनुदान अनुमोदन के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए(1) और 3ए(2) में निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के उप-खंड (viii) के प्रावधान के खंड (ii) के उक्त उप-खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदन प्रदान करता हूँ। / In exercise of powers conferred on the Principal Chief of Income Tax under proviso (ii) (b) to sub clause (viii) of Clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961, I, the Principal Chief commissioner of Income Tax, MP & CG, Bhopal hereby having regard to the guidelines prescribed in Rule 3A(1) & 3A(2) of Income Tax Rules, 1962 for the grant of approval to a hospital, grant approval to **Mediplus Hospital (A unit of Mediplus Hospital & Research Centre Pvt. Ltd.), (PAN: AAICM8279N), E/A-3, Scheme No. 54, Opp. Marriott Hotel, Vijay Nagar, Indore (M.P.)** for the purposes of the said sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause (viii) of section 17(2) of the income Tax Act, 1961.

2. आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए(2) में उल्लिखित निम्नलिखित निर्धारित बीमारियों या व्याधियों के संबंध में कर्मचारी द्वारा अपने चिकित्सा उपचार या अपने परिवार के किसी सदस्य के उपचार पर उपरोक्त अस्पताल में वास्तव में किए गए किसी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15, 16 और 17 के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी के हाथों में अनुलब्धि के रूप में नहीं मानी जाएगी/ Any sum paid by an employer, in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment on any member of his family in the above mentioned hospital in respect of the following prescribed diseases or ailments as mentioned in Rule 3A(2) of Income Tax Rules, 1962, shall not be treated as a perquisite in the hands of the employee for the purposes of sections 15, 16 & 17 of the Income Tax Act, 1961:-

- a) कैंसर/ Cancer;
- b) तपेदिक /Tuberculosis;
- c) अक्वायर्ड इम्युनिटी डेफिसिएंसी सिंड्रोम /Acquired Immunity Deficiency Syndrome;
- d) हृदय, रक्त, लसीका ग्रंथिका, अस्थिमज्जा, श्वसन प्रणाली, स्नायु संबंधी प्रणाली, मूत्र प्रणाली, यकृत, पित्ताशय, पाचक प्रणाली, अंतःस्रावी ग्रंथिका या त्वचा संबंधी रोग या व्याधि, जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो / Disease or ailment of the heart, blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation;
- e) आंख, कान, नाक या गला संबंधी व्याधि या रोग जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो; /Ailment or diseases of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation;
- f) अस्थिपंजर प्रणाली के किसी भाग में फ्रैक्चर या मेरुदंड की गडबड़ी जिसके लिए सर्जिकल ऑपरेशन या आर्थोपेडिक्स उपचार की आवश्यकता हो / Fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopedic treatment;
- g) स्त्री संबंधी या प्रसूति संबंधी व्याधि या रोग , जिनके लिए सर्जिकल आपरेशन , सीजिरिन आपरेशन या लेप्रोस्कोपिक इंटरवेंशनकी आवश्यकता हो/ Gynaecological or obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laparoscopic intervention;
- h) ऊपर (d) में वर्णित आर्गन्स संबंधी व्याधि या रोग जिसमें कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो /Ailment or disease of the organs mentioned at (d), requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
- i) स्त्री रोग या प्रासविक रोग या व्याधि जिसमें कम-से-कम तीन लगातार दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो; /Gynaecological or obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
- j) जलने से क्षति जिसमें कम से कम लगातार तीन दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो; / Burn injuries requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
- k) एनाफाइलेक्टिक शाक्स, जिनमें इन्स्युलिन शाक्स, औषधि प्रतिघात और अन्य एलर्जिक संकेत भी हैं, जिनमें कम से कम लगातार तीन दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो / Anaphylactic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic

manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;

3. नियोक्ता ऐसी राशि के संबंध में धारा 192 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।/ The employer will not be liable to deduct tax at source u/s. 192 in respect of such sum.

4. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप खंड (बी) के उद्देश्य के लिए है और इसे भारत सरकार या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र या सरकार के अधीन किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। / The approval accorded should not be construed as approval of the Government of India or the Principal Chief Commissioner of Income Tax, MP & CG Region or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

5. यदि यह पाया जाता है कि अनुमोदन धोखाधड़ी और/या तथ्यों की गलत प्रस्तुति से या आयकर नियम, 1962 के नियम 3A के उप-नियम (1) में निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है तो यह अनुमोदन किसी भी समय प्रत्याहरण के अधीन होगा और यदि अनुमोदन प्रदान किए जाने के प्रावधानों में अनुवर्ती परिवर्तन आवश्यक हो तो इसमें संशोधन/प्रत्याहरण किया जा सकता है। This approval is subject to withdrawal at any time if it is found that the approval has been obtained through fraud and/or misrepresentation of facts or necessary conditions as stipulated in Sub-rule (1) of Rule 3A of the Income Tax Rules, 1962 are not fulfilled and is subject to modification/withdrawal, if necessitated by subsequent changes in provisions governing the approval.

6. यह आदेश 01.04.2025 से 31.03.2027 तक प्रभावी रहेगा। यह अनुमोदन अस्पताल द्वारा नियम 3ए(1) के तहत वैधानिक शर्तों के निरंतर अनुपालन के अधीन है, जो ऐसे अनुमोदन के लिए आवश्यक हैं और ऐसे संशोधन जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले प्रावधान में किसी भी संशोधन द्वारा आवश्यक हो सकते हैं। / This order shall be effective from 01.04.2025 to 31.03.2027. This approval is subject to the hospital's continued compliance with the statutory conditions under Rule 3A(1) necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provision governing the approval under the Income Tax Act, 1961.

7. यह अनुमोदन नीचे उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है/This approval is subject to terms & conditions as mentioned hereunder:

- (i) यह अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है और केवल अस्पताल द्वारा अधिगृहीत परिसर और इस आदेश के पैरा 2 में उल्लिखित व्याधियों/बीमारियों पर लागू है। यदि इसमें बाद में कोई परिवर्तन होता है, तो अस्पताल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2)(viii)(बी)(ii) के तहत अनुमोदन के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है।/ This approval is not transferable and is applicable only to the premises occupied by the hospital and conditions/ diseases as mentioned in para 2 of this order. In case there is any subsequent change in the same, the hospital is liable to submit fresh application for approval u/s 17(2)(viii)(b)(ii) of the Income Tax Act, 1961.
- (ii) यह अस्पताल संगत समय पर आयकर विभाग के अधिकारियों या प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा /This hospital shall at all reasonable times be open for inspection by such officers of the Income Tax Department as are duly authorized in this behalf.
- (iii) यह अस्पताल आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए(1) और 3ए(2) में निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा। यदि संस्थान कानून द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा करना बंद कर देता है, तो प्रधान अधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि

वह इस तथ्य की सूचना तुरंत इस अनुमोदन को जारी करने वाले प्राधिकारी को दे/ This hospital shall confirm to such conditions as prescribed in Rule 3A(1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962. In the event the establishment ceases to satisfy any of the conditions prescribed by law, it will be mandatory on the part of the Principal Officer to notify the authority issuing this approval of such fact immediately.

- (iv) अनुमोदन के नवीनीकरण के लिए यह आवेदन वर्तमान अनुमोदन की समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए/ The application for renewal of approval should be submitted at least 30 days before the expiry of current approval.
- (v) अनुमोदन की समयसीमा बढ़ाने हेतु, इस आशय का एक प्रमाण पत्र दाखिल किया जाना चाहिए कि आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी की जाती हैं और मूल आवेदन में बताए गए तथ्यों में कोई मूल/भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है/ For the purpose of extension of approval, a certificate should be filed to the effect that all the conditions specified in Rule 3A of the Income Tax Rules, 1962 continue to be satisfied and that no substantive/material change has occurred in the facts reported in the original application.



(ललित कृष्ण सिंह दहिया/ **Lalit Krishan Singh Dehiya**)

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त / **Pr. Chief Commissioner of Income Tax,**

मप्र एवं छग, भोपाल/ **MP & CG, Bhopal**

फा.सं.प्र.मु.आय.आयु./मप्र/तकनीकी/17(2)(बी)(ii)/ मेडीप्लस अस्पताल/197/2023-24/

दिनांक: 29.12.2025

प्रतिलिपि अग्रेषित/Copy forwarded to:

- i. मेडीप्लस हॉस्पिटल (मेडीप्लस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई) (पैन: **AAICM8279N**), इ/ए-३, स्कीम नं ५४, मैरियट होटल के विपरीत, विजय नगर, इंदौर (म.प्र.)
- ii. भारत में सभी मुख्य आयकर आयुक्त/ All the Chief Commissioners of Income Tax in India.
- iii. इंदौर क्षेत्र के सभी प्रधान आयकर आयुक्त/All the Pr. Commissioners of Income Tax in Indore region.
- iv. इंदौर क्षेत्र के सभी अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त [प्रधान आयकर आयुक्त, इंदौर के माध्यम से] / All the Addl./Joint CIT in Indore Region [Through Pr. CIT, Indore]
- v. आयकर अधिकारी (जन संपर्क), कार्यालय प्र.मु.आय.आयु., मप्र एवं छग / Income tax officer (PR), O/o Pr. CCIT, MP & CG.
- vi. गार्ड फाइल /Guard file.

(टी. सुरेश) / **(T. Suresh)**

आयकर अधिकारी (तकनीकी)/ Income Tax Officer (Tech.)

कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,/For Pr. Chief Commissioner of Income-tax,

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, भोपाल/ MP & CG, Bhopal